



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092021-230082
CG-DL-E-30092021-230082

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/आश्विन 8, 1943

No. 297]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

मामला सं. एडी-ओआई-06/2021

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सेमी-फिनिशड ऑफथैलमिक लेंसिस के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/6/2021-डीजीटीआर.—

1. जी के बी ऑफथैलमिक्स लिमिटेड (जिसे यहां “आवेदक” या “जी के बी” भी कहा गया है) ने 1995 और उसके बाद भी यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां “अधिनियम” भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां “नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन.गण. (जिसे यहां “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सेमी-फिनिशड ऑफथैलमिक लेंसिस” (जिसे यहां “संबद्ध वस्तु” या “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदकों ने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का आरोप लगाया है और पाटनरोधी जांच तथा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने के लिए अनुरोध किया है।

घरेलू उद्योग

3. आवेदन जी के बी ऑफथैलमिक्स लिमिटेड (जिसे यहाँ “आवेदक” या “जीकेबी” कहा गया है) द्वारा दायर किया गया है। आवेदन ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है न ही संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या उत्पादक से अथवा भारत पर पी यू सी के किसी आयातक से संबंधित है।
4. रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक का उत्पादन भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में प्रमुख समानुपात के लिए उत्तरदायी हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदक को नियम 2(घ) के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग माना गया है और यह नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति संबंधी मानदंड को पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पाद

5. विचाराधीन उत्पाद सेमी-फिनिश ऑफथैलमिक लेंसिस हैं।
6. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में प्लास्टिक से बने “सेमी-फिनिश ऑफथैलमिक लेंसिस” हैं और ये अपवर्तक सूचकांकों के अनुसार पहचाने जाते हैं जैसे कि 1.498, 1.56, 1.60, 1.67 और 1.74 आदि। ये पीयूसी 65, 70 और 75 मि.मि. आदि डॉयमीटर वाले विभिन्न आकारों में भी विनिर्मित किए जाते हैं। हालांकि, विभिन्न आकार पी यू सी के कीमत निर्धारण को प्रभावित नहीं करते। तथापि, उत्पाद के निम्नलिखित प्रकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है :-
- पोलराइज्ड लेंसिस
 - पोली कार्बोनेट लेंसिस
 - ट्रांजीशन लेंसिस
 - उच्च और विशेष उद्देश्य वाले लेंसिस।
7. “सेमी-फिनिश ऑफथैलमिक लेंसिस” को आईटीसी एचएस कोड 9001.5000 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 90 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

8. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु भारत को संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समान है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं से तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें “समान वस्तु” माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के “समान वस्तु” माना जा रहा है।

संबद्ध देश

9. वर्तमान पाटनरोधी जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

जांच की अवधि

10. आवेदक ने जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2020 - 31 मार्च, 2021 (12 महीने) प्रस्तुत की है। तदनुसार, जांच की अवधि में 1 अप्रैल, 2017-31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018-31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019-31 मार्च, 2020 और जांच की अवधि शामिल होगी।

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

11. आवेदकों ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है। आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं। आवेदक ने बताया है कि यदि प्रतिवादी चीनी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है, तो सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए।
12. सामान्य मूल्य को विधिवत समायोजित सामान्य वस्तु के लिए भारत को थाइलैंड से कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है।

निर्यात कीमत

13. संबद्ध देश के लिए संबद्ध वस्तुओं हेतु निर्यात कीमत को वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित किया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्ययों, बैंक प्रभारों और अंतर्देशीय माल भाड़ा व्ययों के लिए कीमत समायोजन किया गया है।

पाटन मार्जिन

14. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, पाटन मार्जिन को न्यूनतम सीमा से ऊपर निर्धारित किया गया है। इस बात के प्रथमदृष्टया प्रमाण हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य निर्यात कीमत से अधिक है जो यह इंगित करता है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुएं पाटित कीमतों पर निर्यातित की जा रही हैं।

क्षति और कारणात्मक संबंध

15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन और परिणामस्वरूप संबद्ध देश से आयातों की महत्वपूर्ण मात्रा, घरेलू उद्योग पर कीमत कटौती, कीमत ह्रास प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं। संबद्ध देश से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही महत्वपूर्ण क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

पाटनरोधी जांच की शुरूआत

16. घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक संघ द्वारा दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद को संपोषित पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के आधार पर नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसरण में, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने, जो यदि लगायी जाती तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होता, एक जांच की शुरूआत करते हैं।

प्रक्रिया

17. नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का वर्तमान जांच में अनुसरण किया जाएगा।

सूचना को प्रस्तुत करना

18. कोविड महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल adg12-dgtr@gov.in, dir12-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एम एस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सेल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
19. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने हेतु उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
22. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

ड. समय-सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पत्तों adg12-dgtr@gov.in, dir12-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
26. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
27. “गोपनीय” या “अगोपनीय” अनुरोध पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
28. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
29. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
30. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

31. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
32. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

हितबद्ध पक्षकारों के मध्य उत्तरों/अनुरोधों को साझा करना

33. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वेबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी।

असहयोग

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
INITIATION NOTIFICATION
 New Delhi, the 30th September, 2021
(Case No- AD-OI- 06/2021)

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of Semi-Finished Ophthalmic Lenses originating in or exported from China PR.

F. No. 6/6/2021-DGTR.—

1. GKB Ophthalmics Limited (hereinafter referred to as the 'Applicant' or 'GKB') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the "Rules") for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Semi-finished ophthalmic lenses" (hereinafter referred to as the 'subject goods' or the 'product under consideration' or PUC) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the 'subject country').
2. The Applicant has alleged dumping of subject goods, originating in or exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry and have requested for Anti-dumping investigation and imposition of the Anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country.

Domestic Industry

3. The application has been filed by GKB Ophthalmics Limited (hereinafter referred to as the 'Applicant' or 'GKB'). The Applicant has neither imported the subject goods from the subject country nor is related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or any importer of the PUC in India, within the meaning of Rule 2(b) of Anti-Dumping Rules.
4. As per the evidence available on record, the Applicant's production accounts for a major proportion in the domestic production of the like article in India. On the basis of information available, the Applicant is treated as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

Product under Consideration

5. The product under consideration is Semi-finished ophthalmic lenses.
6. The scope of the product under consideration includes “Semi-finished ophthalmic lenses made up of plastic and are identified as per the refractive indexes such as 1.498, 1.56, 1.60, 1.67 & 1.74 etc. These PUCs are also manufactured in different sizes having diameter 65,70 and 75 mm etc. However, different sizes would not impact the pricing of the PUC. The following types of products are however excluded from the scope of the product under consideration:
 - i. Polarized lenses
 - ii. Polycarbonate lenses
 - iii. Transition lenses
 - iv. High and special purpose lenses
7. Semi-finished Ophthalmic Lenses are classified under Chapter 90 of the Customs Tariff Act, 1975 under the ITC HS code 9001.5000. The Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

Like Article

8. The Applicant has claimed that the subject goods exported to India are identical to the goods produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from the subject country in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

Subject Country

9. The subject country in the present anti-dumping investigation is China PR.

Period of Investigation (POI)

10. The Applicants have proposed the period of investigation (POI) as 1st April 2020 – 31st March 2021 (12 months). The injury period under investigation accordingly, will cover the periods 1st April, 2017-31st March 2018, 1st April, 2018- 31st March 2019, 1st April, 2019-30th March, 2020 and the period of investigation.

Normal value for China PR

11. The Applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The Applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the Applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.
12. The normal value has been determined on the basis of the price from Thailand to India for the like product, duly adjusted.

Export price

13. The export price for the subject goods for the subject country has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics transaction-wise import data. Price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, bank charges and inland freight expenses.

Dumping margin

14. Considering the normal value and export price determined, dumping margin determined is above de-minimis level. There is prima facie evidence that normal value of the subject goods in the subject country is higher than the net export price, thereby indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country have been exported at dumped prices.

Injury and Causal Link

15. The Authority notes that there is prima facie evidence of dumping and consequential injury to the domestic industry on account of significant volume of imports from the subject country, price undercutting, price depressing effect on the domestic industry. There is prima facie evidence of material injury being caused to the domestic industry by dumped imports from subject country.

Initiation of Anti-dumping investigation

16. On the basis of the duly substantiated written application filed by the Applicant Association on behalf of the domestic industry, and prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Procedure

17. Principles as given in Rule 6 will be followed for the present investigation.

Submission of Information

18. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses adg12-dgtr@gov.in, dir12-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
19. The known producers/exporters in the subject countries, Government of the subject countries through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
22. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

Time Limit

23. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in, dir12-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of Information on Confidential Basis

25. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
26. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

27. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
28. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
29. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
30. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
32. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Sharing of responses/ submissions amongst interested parties.

33. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR’s website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

Non-Cooperation

34. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority